सवाल नं० 15145 व्यय = 13 रु०

कार्यालय, राजस्व अभि० कोल अलीगढ़

430

न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी ,कोल (अलीगढ)

सं0 –20151802023283
मौजा –मानई

अन्तर्गत धारा –143 ज0वि0एवं भू0 व्यव0 अधिनियम
परगना अकराबाद तहसील कोल जिला अलीगढ

मॉ भगवती महाविद्यालय बनाम सरकार

नकल निर्णय दि० 11-7-15

प्रार्थी श्री मॉ भगवती महाविद्यालय बिचपुरी मानई द्वारा सचिव श्रीमती बीना देवी पत्नी रनव सिंह निवासी विचपुरी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवर अधिनियम के तहत दिनांक 21–05–2015 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसमें कहा गया है कि मौ मानई परगना अकराबाद तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि खाता संख्या–75 गाटा संख्या–1156/6 रक 0.461है0 लगानी 16.00रू0 में से रकवा 0.278है0 व खाता सं0 770 गाटा सं0 1156मि0 रकवा 0.364है0 लगा 60ख व खाता सं0 753 गाटा सं0 1156मि0 रकवा 0.363है0 लगानी 60ख कुल रकवा 1.005है0 के संक्रमर्ण भूमिधर मालिक व काबिज दर्ज कागजात है । उक्त भूमि पर मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः उपरो भूमि को आबादी /अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की मांग की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार कोल से आख्या चाही गई, तहसीलदार कोल ने अपनी आख दिनांक 12–06–2015 में उल्लेख किया है कि मौजा मानई परगना अकराबाद तहसील कोल जिला अलीगढ स्थि भूमि खाता संख्या–75 गाटा संख्या–1156/6 रकवा 0.461है0 लगानी 16.00रू0 में से रकवा 0.278है0 व खाता स 770 गाटा सं0 1156मि0 रकवा 0.364है0 लगानी 60ख व खाता सं0 753 गाटा सं0 1156मि0 रकवा 0.363है लगानी 60ख कुल रकवा 1.005है0पर मॉ भगवती महाविद्यालय बिचपुरी मानई द्वारा सचिव श्रीमती बीना देवी पत्न रनवीर सिंह निवासी विचपुरी परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है उपरोक्त भूमि पर गत 03 वर्ष से कृषि कार्य यथा कृषि , बागवानी, पशुपालन , मत्स्य पालन, कुक्कुट पाल ,मधुमक्खी पालन एवं हार्टीकल्चर आदि का कार्य नहीं हो रहा है , बल्कि मौके पर चाहर दीवारी लगी है। अ उपरोक्त भूमि को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित की गई है।

पत्रावली का परिशीलन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कोल की आख्या दिनां 12–06–2015 का भी परिशीलन किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार कोल की आख्या दिनां 12–06–2015 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विश्लेषणानुसार तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 12–06–2015 स्वीकार की जात है। मौजा मानई परगना अकराबाद तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि खाता संख्या–75 गाट संख्या–1156/6 रकवा 0.461है0 लगानी 16.00रू0 में से रकवा 0.278है0 व खाता सं0 770 गाटा सं0 1156मि रकवा 0.364है0 लगानी 60ख व खाता सं0 753 गाटा सं0 1156मि0 रकवा 0.363है0 लगानी 60ख कुल रकव 1.005है0 लगानी 27.65रू0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार कोल की आख्या दिनांव 12–06–2015 आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक कोल को भेजी जाये । तदानुसार परवान अमलदरामद जारी हो । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनॉक–11 जुलाई 2015,

25-7-19
26-7-19
26-7-19

(पूरन सिंह राणा) 11/7/15
उपजिलाधिकारी/ सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी
कोल (अलीगढ)

उक्त निर्णय मेंरे व्दारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उदघोषित किया गया है।
दिनांक– 11 जुलाई 2015,

सत्य प्रतिलिपि
26/7/19
राजस्व अभिलेखाकार
अलीगढ

11/7/15
उपजिलाधिकारी/ सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी
कोल (अलीगढ)